



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्थ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 16 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी सुनील कुमार पुत्र श्री बालकिशुन, निवासी जनपद-जौनपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-01-09-2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी सुनील कुमार (बंदी संख्या-1031/2024) पुत्र श्री बालकिशुन, जो हमाम दरवाजा पंजाबी कॉलोनी, थाना-कोतवाली, जनपद-जौनपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 13/14-05-1988 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग लगाकर 01 महिला की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-18/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 498ए के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के आदेश दिनांक 20-03-1991 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29-02-2024 द्वारा निर्णीत करते हुए धारा-302 आई0पी0सी0 में आजीवन कारावास की सजा को धारा-304बी आई0पी0सी0 में 10 वर्ष की सजा में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष कारावास की सजा के सापेक्ष दिनांक 25-03-2025 तक 05 वर्ष, 01 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष, 07 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानसार बंदी की 58 वर्ष, 05 माह, 27 दिन की आयु, बंदी द्वारा भोगी गई अपरिहार सजा, बंदी के रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बंदी के स्वास्थ्य की दशा ठीक होने, बंदी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी सुनील कुमार (बंदी संख्या-1031/2024) पुत्र श्री बालकिशुन, निवासी जनपद-जौनपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-814के-2/22-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
- 3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।